(6)

R 711-I/12

दिनेश चौधरी पिता श्री चुनबद्दी चौधरी उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम गांधीग्राम रामपुर चौरासी तहसील रघु0 थाना सिविल लाईन सतना जिला सतना म0प्र0.................................निगराकार/अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

रामलाल चौधरी पिता श्री मईका चौधरी उम्र 46 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्रामं गांधीग्राम रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर थाना सिविल लाईन सतना जिला सतना म0प्र0..........गैरनिगराकार/गैरअभ्यावेदनकर्ता

द्वितीय निगरानी/अभ्यावेदन विरूद्व आदेश दिनांक 5/12/2011 प्रकरण क्र0 89 निगरानी/2011–12 न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सतना जिला सतना म0प्र0 के विरूद्व।

अंतर्गत धारा 50 (2) म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार/अनावेदक निम्न आधारो पर उक्त निगरानी/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विनयी है:–

द्वितीय निगरानी/अभ्यावेदन के संक्षिप्त तथ्य:–

1) यह कि गैरनिगराकार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र मौजा रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आराजी के संबंध मे कब्जा वापसी का दावा धारा 250 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमे निगराकार ने तहसीलदार वृत्त रैंगाव तहसील रघु0 जिला सतना के न्यायालय मे इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति की थी कि जिस आराजी के संबंध मे आवेदक ने कब्जा वापसी का दावा पेश किया है उसी आराजी के संबंध मे आवेदक के पिता ने पूर्व मे ही 250 के तहत उक्त आराजी नं0 1463/12ङ/5/2 रकवा 1.50 ए0 के अंश रकवा 0.60 ए0 के संबंध मे पेश किये थे जो खारिज कर दिया गया था उसी आराजी के संबंध मे पुनः पिता के बाद पुत्र के द्वारा दावा नही किया जा सकता है और प्रस्तुत दावा अवधि बधित है आवेदक ने दावा को समयावधि के अंदर लाने हेतु सीमांकन करवाकर झूठा दावा पेश किया है।

आदेश तारीख 13.5.15

आ० क्र. ३०
टी ६

13-5-15

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित
नहीं। पेशी दिनांक 9.4.14 को आवेदक भी
ओर से उनके अभिभावक उपस्थित थे। उनके
पश्चात अभिभावक उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
लगभग एक वर्ष से आवेदक की ओर से किसी
के उपस्थित न होने से प्रकरण में उनकी रुचि
न होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।
प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो

सदस्य